(ग) क्या सरकार उन कम्पनियों के विरुद्ध बकाया राशि को वसूलने हेतु कड़े उपाय करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (क) गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू कंपनियों से वसूल की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उपकर सहित) की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1991-92 . .	2690.81 करोड़ रुपये
1992-93 . .	3104.75 करोड़ रुपये
1993-94 . .	3301.50 करोड़ रुपये
(संशोधित अनुमान)	

(ख) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 74]

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ निरपवाद रूप से कार्रवाई की जाती है । तथापि इन प्रयोजनों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है ।

बकाया ऋणों की वसूली

3763. श्रीमती अग्निका अभिनंदन जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली के लिए निकट भविष्य में ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बैंकों का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कब तक पुनर्गठन किए जाने की संभावना है और बैंकिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है; और

(ङ) अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारतीय बैंकिंग प्रणाली का स्तर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार ने, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शीघ्र ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के तहत ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली और उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों के शीघ्र न्याय-निर्णयन के लिये अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ।

(ग) और (घ) सरकार को, भारतीय स्टेट बैंक से, उसके सात अनुषंगी बैंकों को एकल बैंक में विलय करने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से विचाराधीन है और इस स्थिति में, इस संबन्ध में कोई भी निर्धारित समय-सीमा बतायी नहीं जा सकती ।

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों ने बैंकिंग क्षेत्र में लाभप्रदता, उत्पादकता और कारगरता में सुधार लाने संबंधी सुधार योजनाएं तैयार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण के जरिए बकों का प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण भी शामिल है । अगले कुछ वर्षों में, बैंकों के 500 शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अन्य एशियाई देशों में प्रचलित प्रणाली के मानकों के साथ तुलना करने के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए वस्तुनिष्ठ, अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लेखा मानक तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये हैं ।

Decline In per Capita Income

3764. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether India's per capita income -ecorded a decline of $ 20 in 1992 over he previous year as per the 26th edition >f the World Bank Atlas;

(b) if so, how do these figures compare with Government's corresponding figures in terms of dollars and the Indian rupee; and

(c) what is the estimated per capita income for 1993 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) As per the Twenty Sixth World Bank Atlas the per capita GNP figured for India are stated to be US Dollar 310 in 1992 as against US Dollar 330 in 1991. It may be noted that these figures are on a Calendar year basis arrived at by using a conversion method to smooth fluctuations in prices and exchange rates. In contrast, Central Statistical Organisation brings out broad macro aggregates on a financial year basis both at current and constant prices in Rupee terms only, The latest available estimates of per capita Income are as "under:

	Per Capita NNP		Per Capita GNP	
	1980-81 Prices	Current Prices	1980-81 Prices	Current Prices
1992-93* . . .	2216	6249	2495	7070
1993-94@ . .	2255	NA	2544	NA

"Quick Estimates ©Advance Estimates NA: Not Available, NNP : Net National Product, GNP : Gross National Product.

Goswami Panel Report in Industrial Sickness and Corporate Restructure

3765. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have examined the Goswami Panel Report on industrial sickness and corporate restructuring;

(b) if so, the recommendations which have so far been examined by -Government; and

(c) the total number of suggestions incorporated and by when these are likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) The recommendations of the Goswami Committee Report on Industrial Sickness and corporate restructuring are under consideration of the Government

निजीकरण और उदारीकरण की नई आर्थिक नीति

3766. श्री अनंत राव आयसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजीकरण और उदारीकरण की नई आर्थिक नीति के बारे में किसी पैकेज को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) पैकेज में शामिल कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पैकेज में शामिल उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लागू कर दिया गया है और प्रत्येक को कब से लागू किया गया है ; और

(घ) पैकेज में शामिल बकाया उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लागू किया जाना है और प्रत्येक को कब से लागू किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ती) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण हेतु एक ढांचा मुहैया कराया । इस समय, केवल 15 मदों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को सभी मदों से हटा दिया गया है ; सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम करके 6 कर दिया गया है ; और सरकारी क्षेत्र के निवेश हेतु निर्धारित आधार-ढांचे संबंधी कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी अनुमति दी गई है । विदेशी निजी निवेश संबंधी नीति को काफी उदार बनाया गया है जिसमें अनेक उद्योगों में 51 प्रतिशत इक्विटी तक विदेशी निवेश हेतु स्वतः अनुमोदन के उपबन्ध तथा मापदंडों और प्रक्रियाओं में छूट देना शामिल है ।

सरकार ने अब सरकारी क्षेत्र में अनेक सुधार आरंभ किए हैं । इन सुधारों में अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं : सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे उद्यमों को आयोजना—भिन्न ऋणों के रूप में दी जा रही बंजटीय सहायता को चरणों में समाप्त करना, बजट हेतु वैरस्फीतिकारी संसाधन जुटाने के लिए, तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्ध में स्वामित्व का आधार व्यापक करने और अधिक वाणिज्यिक दिशा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा उद्यमों में 49 प्रतिशत तक का विनिवेश करना, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने तथा बाजार से नई इक्विटी जुटाने की अनुमति देना तथा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एस० आई० सी० ए०) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाना ।

Lending Facilities to Farmers in Punjab

3767. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lending facilities from financial institutes and banks to the fanners and other people of Punjab are very low;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) what steps Government propose to take to increase lending facilities from the said financial institutions to farmers of the State?